47

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–3255–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–08–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील त्योंथर वृत्त चाकघाट के प्रकरण क्रमांक–65–ए–70/2015–16

.....

1– चन्द्रकली पत्नी लालजी

2– लालजी पिता गंगा प्रसाद

निवासीगण–बघेड़ी(चाकघाट) तहसील त्योंथर

जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

विजय कुमार गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता

निवासी–चाकघाट तहसील त्योंथर,

जिला–रीवा (म0प्र0)

–––––अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक **11.01.2018** को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील त्योंथर वृत्त चाकघाट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम झार स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 27/7/क/1 रकबा 0.027 हैक्टर के 0.05 अंश पर आवेदकगण द्वारा कब्जा बेदखल किये जाने हेतु अनावेदक विजय कुमार गुप्ता द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पर

नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाकघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 65–ए–70/2015–16 पर पंजीबद्ध किया तथा अपने आदेश दिनांक 30.08.2016 से अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये कि अनावेदक विजय कुमार गुप्ता पिता श्री रामलाल गुप्ता ने शान्ती देवी पति श्री रामबहोर केवट से दिनांक 22.07.2015 को आराजी नं0 27/7/क/1 रकबा 0.027 हैक्टेयर का अंश रकबा 0.027/270 वर्गमीटर क्रय किया था तथा विक्रय पत्र में लिखायी गई चौहद्दी से हटकर बाहर की आराजी आवेदकगण के कब्जे दखल की भूमि की गलत रजिस्ट्री कराई गई। पंचनामा दिनांक 03.03.2016 में हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक ने उल्लेख किया है कि आवेदकगण का पूरा रकबा चन्द्रकली के कब्जे में पूर्व में था और उक्त पंचनामा दिनांक 03.03.2016 में विजय कुमार, इन्दल कुमार चौकीदार व राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर बने हुये है। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अनावेदक के क्रय करने के पूर्व से आवेदकगण का कब्जा दखल है। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 250 में स्पष्ट उल्लेख है कि इस धारा के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही कृषि भूमियों में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जानकारी दिनांक से 2 वर्ष के अंदर की जानी चाहिये, किन्तु इस प्रकरण में अर्सा 20 वर्ष पूर्व से ही मकान बनाकर आबाद है, जिस पर धारा 250 की कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि संहिता की धारा 250 दो वर्ष के अंदर कब्जे दखल वाली भूमि पर कार्यवाही करने के लिये बनायी है किसी मकान या निर्माण के संबंध में कार्यवाही करने के लिये सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने प्रतिउत्तर में लिखित तर्क प्रस्तुत किये कि अनावेदक ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराज नम्बर 27/7/क/1 रकबा 0.027 हैक्टर का स्वामी है तथा दिनांक 22.07.2015 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये शांती देवी पत्नी रामबहोर केवट से क्रय की है। उक्त वादग्रस्त आराजी से लगी हुई आवेदक की आराजी नम्बर 30 स्थित है। अनावेदक ने उक्त आराजी को क्रय करने के पश्चात अपने नाम नामांतरण प्रमाणित कर सीमांकन करवाया तथा बिक्रय दिनांक से अधिपत्य प्राप्त किया है किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी पर आवेदकगण ने विवाद पैदा करने के उदेश्य से घास एवं

लकड़ियों से झोपड़ी बनाने का प्रयास किया, जिससे हतप्रद होकर अनावेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जहॉ अनावेदक के पक्ष में स्थगन आदेश भी पारित हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को एक पत्र हल्का पटवारी को 6 बिन्दुओं की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 20.05.2016 को प्रतिवेदन दिया कि कोई मकान व झोपड़ी नहीं बनी है लेकिन दिये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध आवेदकगण सांकेतिक घास की झोपड़ी बना लिये । अनावेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया की वादग्रस्त आराजी का स्वरूप कृषि भूमि का है कोई नवैयत अभी तक परिवर्तित नहीं हुई है। राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि अंकित नहीं है, जिससे कृषि भूमि के सम्बन्ध में धारा 250 के प्रचलनशीलता में कोई बाधा नहीं है। आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया गया है वह म्याद का बिन्दु है। म्याद का बिन्दु तब प्रारंभ होता है जब भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमांकन करवाने से यह जानकारी प्राप्त कर ले कि उसकी भूमि पर बेजा कब्जा है तब सीमांकन दिनांक से दो वर्ष के अन्दर बेदखली की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। जहां अनावेदक ने अपनी आराजी का सीमांकन 10.03.2016 को करवाया वही सीमांकन के पश्चात आवेदकगण द्वारा बेजा कब्जा किया गया है तथा सीमांकन दिनांक को वाद कारण माना जाये तब भी संस्थित धारा 250 की कार्यवाही पूर्ण समय सीमा के अंदर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक विजय कुमार गुप्ता ने वादग्रस्त भूमि से आवेदकगण के अवैध कब्जा को हटाये जाने हेतु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन नायब तहसीलदार त्योंथर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर नायब तहसीलदार त्योंथर ने हल्का पटवारी से उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवेदन मंगवाया । प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक ने विक्रेता शान्ती देवी पत्नी रामबहोर केवट से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये उक्त आराजी क्रय करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा तरमीम एवं सीमांकन कराया तथा आवेदक का कब्जा पाने के कारण बेदखली की कार्यवाही हेतु आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार ने वर्तमान में आवेदक को आवेदन को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्या हेतु

नियत किया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। अभी साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत है। आवेदक चाहे तो अपना पक्ष तहसील न्यायालय रखा सकता है। दर्शित स्थिति में नायब तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होते है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार त्योंथर का आदेश दिनांक 30.08.2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,